

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला-अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 02/2018

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू0अ0 मूसदा जिला-अजमेर

-----वादी

ब नाम

- 1- श्री भंवरू पुत्र मोती
- 2- श्री भीमा पुत्र मोती
- 3- श्री गाजी पुत्र मोती
- 4- श्री देवी पुत्र मोती
- 5- श्री जीया पुत्र मोती

समस्त जाति रावत निवासी मजरा लहरी तहसील मसूदा

-----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 19.06.2019

तहसीलदार मसूदा ने सारांक्षत अपने वाद पत्र में कथन किया है, कि मौजा जसवन्तपुरा लहरी पटवार हल्का खरवा प्रथम में स्थित भूमि खसरा नंबर 3748 रकबा 11-09-10 प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है, जिसका मौका निरीक्षक किया गया जिसमें उक्त खसरा नंबर जिसका नाप (1) 30 बाई 75 बाई 2 (2) 100 बाई 20 बाई 3.5 (3) 25 बाई 08 बाई 01 मीटर क्षेत्र में अवैध खनन करके कुल 13488 टन खनिज फेल्सपार का निर्गमन पाया गया चूंकि खातेदारों द्वारा खातेदारी भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन (अवैध खनन) में किया गया है अतः धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही गई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में बहस सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके वादपत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि खनि अभियन्ता ब्यावर ने तहसीलदार मसूदा को दिनांक 08.03.2017 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कथन किए हैं कि ग्राम जसवंतपुरा लहरी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3748 जो कि भंवरू भीमा गाजी देवी जीया पिता मोती रावत निवासी लहरी के नाम दर्ज है का मौका निरीक्षण किया जिसमें उक्त खसरा में एक खनन पिट में खनिज फैल्सपार (कांटी) का खनन कर निर्गमन होना पाया जाने का रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा खातेदारों द्वारा खातेदारी भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ (अवैध खनन) में किया गया है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 08.03.2017 में भी खसरा संख्या 3748 में अवैध खनन किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ग्राम जसवन्तपुरा लहरी पटवार क्षेत्र खरवा प्रथम की जमाबन्दी संवत् 2071-74 के खाता संख्या 97 में अन्य खसरान् के साथ वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 3748 रकबा 11-09-10 किस्म चाही 3 भंवरू भीमा गाजी देवी जीया पिता मोती रावत सा. देह मजरा लहरी खातेदार दर्ज है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौका रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम जसवन्तपुरा लहरी पटवार हल्का खरवा प्रथम में स्थित भूमि खसरा नंबर 3748 रकबा 11-09-10 किस्म चाही 3 में उक्त कृषि भूमियों का बिना संरपरिवर्तन करवाये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने का उक्त कृत्य राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने एवं भूमि अवैध खनन करवाया जाकर भारी मुनाफा कमाने का जरिया एवं खनन माफियाओं को बढ़ावा देने की नियत से यह कार्यवाही किया जाना पाया जाता है। तथा साथ ही धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त वादग्रस्त भूमियों को सिवायचक घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मसूदा को ग्राम जसवन्तपुरा लहरी पटवार हल्का खरवा प्रथम में स्थित भूमि खसरा नंबर 3748 रकबा 11-09-10 किस्म चाही 3 को राजस्व अभिलेखों में सिवायचक सरकारी भूमि अंकित करते हुए कब्जा सरकार के तहवील में लिये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। खर्चा सरकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मोहनलाल खटनावलिया)
(मोहनलाल खटनावलिया)
आर० ए० सी०
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा
मसूदा (अजमेर) राज.

